–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :–2/2024

उनवान

रजियां बनाम जगदीश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

–: आदेश :– दिनांक :– 12.5.25

अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 बाबत विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 पेश किया है। वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा दिनांक 25.01.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर कब्जा व दखल सौप दिया है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के प्रकरण संख्या 49/2019 व दीवानी वाद संख्या 59/2018 में दिनांक 05.05.2019 को उक्त भूमि के कथित व मिथ्या इकरारनामा के आधार पर पेश किया गया को रिव्यु प्रार्थना पत्र के तहत पूर्व आदेश को निरस्त किया जा चुका है। जिसकी अपील श्रीमान न्यायालय श्रीमान जिला व सेशन न्यायाधीश नसीराबाद के समक्ष विचाराधीन है। उक्त सिविल प्रकरण में वादी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार मुर्तिब है। वादी के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। अतः माननय न्यायालय को सुनवाई का श्रेत्राधिकार नही होने के कारण वाद विध द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जावे।

अधिवक्ता वादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में वादी की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व किये गये विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय 1.5.19 द्वारा शून्य मानते हुये प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये इकरारनामा दिनांक 13.07.17 के अनुसार विक्रय पत्र पंजीयन कराने हेतु आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र पेश किया गया जो स्वीकार किया गया तथा प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकरारनामें के बाद भी भूमि का विक्रय नही किया। प्रतिवादी संख्या 1 का आराजी मुतनाजा पर कोई हक व अधिकार नही होने से प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया हे कि आराजी मुतनाजा वादी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। वादी द्वारा उक्त वाद दिनांक 11.1.24 को हाजा न्यायालय में पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र ... वादी द्वारा वाद पेश करने से पूर्व ही आराजी मुतनाजा का बैचान ... प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 25.01.17 को किया जा चुका है। ... ही एक वाद वादी, प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:03 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

संख्या 1 व गोरधन पुत्र गोकल जाति जाट के मध्य सिविल न्यायालय में विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में इकरारनामें के आधार पर वाद गोरधन पुत्र गोकल के पक्ष में डिक्री किया गया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. दिनांक 12.08.22 को स्वीकार किया गया तथा प्रकरण वर्तमान में अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा के स्वामित्व अधिकार बाबत माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। वादी आराजी मुतनाजा का खातेदार है किन्तु उसके द्वारा पूर्व में ही आराजी मुतनाजा का बैचान जरियें पंजीकृत विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 को किया जा चुका है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व गोरधन पुत्र गोकल जाति जाट के मध्य सिविल न्यायालय में इकरारनामें के आधार पर वाद विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में निर्णय अथवा डिक्री पारित होने पर भूमि का स्वामित्व प्रतिवादी संख्या 1 अथवा गोरधन पुत्र गोकल को प्राप्त होना है। वादी का आराजी मुतनाजा पर कोई हक व अधिकार शेष नही है। वादी सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में पक्षकार मुर्तिब है किन्तु उसके द्वारा अपने वाद में उक्त तथ्यों का कोई हवाला नही दिया है। हाल जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज अनुसार माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पूर्व में ही भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है। अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर सुनवाई का श्रेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नही है। इकरारनामें की सत्यता का निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। सिविल न्यायालय द्वारा गोरधन पुत्र गोकल के पक्ष में निर्णय पारित किया जाता है अथवा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दोनो ही स्थिति में आराजी मुतनाजा का स्वामित्व वादी को प्राप्त नही होना है। साथ ही उसके द्वारा आराजी मुतनाजा का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। अतः धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी के खातेदारी अध्किारों का अवसान हो चुका है। वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही विधि द्वारा वर्जित सिद्व होता है। आराजी मुतनाजा के स्वामित्व का निर्धारण अन्तोगतवा माानीय सिविल न्यायालय के आदेश अनुसार ही निर्धारित होगा।

अतः प्रतिवादी संख्या 1/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:03 IST
Reason: SelfAttested